न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-354RAAJodhpur2022-141RTA223 Kamladevi ors Vs Shaitansingh etc

01. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री प्रेमसिंह
02. लालसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह
दोनो जातियान् राजपुरोहित, निवासीगण- गांव चावण्डा, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. शैतानसिंह पुत्र श्री पूनमसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी- ग्राम चावण्डा, तहसील व जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 जुलाई 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर उत्तर राजस्व मूल वाद संख्या 35/2021 शैतानसिंह बनाम श्रीमती कमलादेवी इत्यादि

उपस्थित-

श्री त्रिलोक जोशी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री प्रहलादसिंह, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 03 जनवरी 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 35/2021 शैतानसिंह बनाम कमलादेवी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 जुलाई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 30 अगस्त 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 789 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा वाके मौजा चावण्डा के संबंध में अपीलांट्स के विरुद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2022 को वादी/रेस्पो. का वाद स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया का समुचित पालन किये बिना एवं कानूनी प्रावधानों का समुचित विवेचन किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये है जो काबिले निरस्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि की मंशा के विपरीत है, क्योंकि जब जब तारीख पेशी होती अपीलांट्स विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की गलत मंशा व उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा रेस्पोडेंट के साथ मिलीभगत करते हुए अपीलांट्स को आवाज नहीं देते और मनमाने तरीके से मामले में कार्यवाही अमल में लाते थे। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार दावे में कोई कार्यवाही अमल में लाये बिना सीधा निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को न तो सुनवाई का अवसर दिया एवं न ही किसी पक्ष की साक्ष्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रिकॉर्ड की तथा आदेशिकाओं में कांट-छांट कर मन माफिक लाईन बीच में डाली है जो अन्य शब्दो से मेल नहीं खाती है। आदेशिका में लिखा गया कि ''दोनो पक्षो की सहमति से गवाह शैतानसिंह से जिरह पूर्ण की गई।'' और आदेशिका में बाद मे छेड़छाड़ कर ''सहमति से'' और ''गवाह'' शब्दो के बीच ''कमिश्नर नियुक्त किया गया।'' जोड़ दिया गया। इस पकार यह आदेशिका सही नहीं है। यदि शैतानसिंह की जिरह की बात आती है तो उस दिन शैतानसिंह कोर्ट में मौजूद नहीं था और यदि कमिश्नर की बात आती है तो हम पक्षकार मौजूद ही नहीं थे, मात्र अपीलांट के अलावा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत मामले में प्रति दिन की तारीख पेशी रखी जाकर अपीलांट्स से बाले-बाले समस्त कार्यवाही की गई है। अपीलांट्स के पक्ष मे निष्पादित बेचान इकरारनामा दिनांक 04.03.2009 में बेचानकर्ता ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि खसरा नं. 789 की रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा भूमि पर आप द्वितीय पक्षकार यानि अपीलांट्स का व उनके पूर्वजो का पीढी दर पीढी कब्जा काश्त चला आ रहा है, इस कारण वर्तमान समय में भी उक्त भूमि पर आपका यानि अपीलांट्स का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बेचान इकरारनामा, शपथ-पत्रों एवं दस्तावेजात को रेकर्ड पर लिये बिना तथा अपीलांट्स को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। मामले में तलब विभाजन प्रस्ताव भी नियमानुसार तहसीलदार जोधपुर की उपस्थिति में तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट्स की अनुपस्थिति में मौका स्थिति के विपरीत तैयार किया गया है जो निरस्तनीय है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी उत्तर जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 35/2021 शैतानसिंह बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कमलादेवी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 जुलाई 2022 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावें तथा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट्स के आवश्यक दस्तावेज, शपथ-पत्र, साक्ष्य शपथ-पत्र व स्वतंत्र गवाहो के शपथ- पत्र को रेकर्ड पर लेकर अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर देकर पुनः दर्ज कर गुण दोष के आधार पर सुनवाई निरन्तर किये जाने का आदेश फरमावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट संख्या एक वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 789 में रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा का पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये रेकर्डेड सहखातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई के समुचित अवसर प्रदान किये गये, फिर भी वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। विचारण न्यायालय द्वारा जमाबंदी में दर्ज हक-हिस्से अनुसार तथा उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 24.11.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। दिनांक 16.12.2021 को प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री चैनसिंह राजपुरोहित जरिये यू.टी. उपस्थित हुए। पत्रावली दिनांक 03.01.2022 से प्रतिदिन पेशी में रखी गई तथा दिनांक 06.01.202 को प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। मामले में दिनांक 24.03.2022 को तनकीयात

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कायम की गई तथा विचारण न्यायालय द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 08.04.2022 तक वादी की साक्ष्य पूर्ण गई तथा उक्त पेशी की आदेशिका में ऑवर राईटिंग की जाकर गवाह शैतानसिंह की जिरह एवं कमिश्नर नियुक्ति में उभय पक्ष की सहमति दर्शायी गई, किंतु सहमति स्वरूप अपीलांट पक्ष की ओर से अधिवक्ता या अपीलांट के हस्ताक्षरों का अभाव पाया जाता है। पत्रावली में दिनांक 13.06.2022 को प्रतिवादी को साक्ष्य पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाना पाया जाता है तथा आगामी निकटतम तारीख पेशीयॉ मुहरे लगाकर मुकर्रर किया जाना पाया जाता है तथा दिनांक 11 जुलाई 2022 को प्रतिवादी की साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली दिनांक 14.07.2022 को बहस हेतु मुकर्रर की गई। उक्त पेशी पर अपीलांट्स पक्ष की अनुपस्थिति में वादी की एकपक्षीयबहस सुनी जाकर दिनांक 18 जुलाई 2022 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। हस्तगत प्रकरण में समस्त कार्यवाहियॉ अपीलांट पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति, सुनवाई सम्यक अवसर दिये बिना विशेष प्राथमिकता देते हुए विचारण न्यायालय ने प्रतिदिन की पेशीयॉ नियत कर त्वरित रूप निस्तारित कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। अपीलांट्स की ओर से दिनांक 24.01.2022 को न्यायालय हाजा की पत्रावली में प्रस्तुत बेचान इकरार दिनांक 04.03.2009, शपथ-पत्रो एवं अन्य दस्तावेजात में वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा होना बताया गया है। इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिये जाने से वे अपना पक्ष नहीं रख सके। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम { राजस्व मण्डल} नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वयं मौके

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाकर तैयार किये जाने के बजाय भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में अपीलांट पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 जुलाई को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में अपीलांट्स को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए तहसीलदार जोधपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम {राजस्व मण्डल} नियम 18 से 21 अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/01/2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर